पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 75 / 18

अनवान : 1. रामचन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

—वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. गुडडी पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. राजबाला पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्श शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 नेठराना में वकीलवादी श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 बी आर डबलु के खाता सं० 82 / 84 के मु. न. 15 किला न. 6 ता 8, 13 ता 18 की 2.277 हैक्टेर नहरी व चक 3 बीआरडब्लु के खाता सं० 114 / 113 के मु० न. 20 के किला न. 6 ता 9, 12 ता 15, 17 ता 19 की 2.783 नहरी मय खाला व चक 1 बीआरडब्लु की खाता सं० 131 / 127 के मु० न० 21 किला न० 7 ता 9, 10 / 1 की कुल 0.885 हैक्टर नहरी मय रास्ता की भूमि में प्रतिवादी सोहनलाल का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सोहनलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.